संख्या–214/XVI/07/7(52)/06

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
रेशम विकास विभाग,
प्रेमनगर,देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः देहरादूनः दिनांक 28 मार्च, 2007

विषयः–रेशम निदेशालय, प्रेमनगर,देहरादून में सिल्क पार्क निर्माण की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–4437/रेशम/तक0अनु0/सिल्क पार्क/2006–07 दिनांक–23,फरवरी, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि प्रस्तावित कार्य हेतु कार्यदायी संस्था,उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत आगणन की धनराशि रू0–277.75 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त संस्तुत रूपये–244.00 लाख (रूपये दो करोड चौवालीस लाख मात्र) की लागत के संलग्न आगणन की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यय हेतु रू0 35.00 लाख (रूपये पैंतीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्न निर्धारित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

2–कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

3–कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेक अप किया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लिया जाय। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाये जाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

.....2/–

9–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 2047/XIV–219/2006, दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का, कार्य कराते समय अथवा आंगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10–जी0पी0डब्लू फार्म–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा,तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

11–उक्त स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा नियमानुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

12–इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से रेशम विकास विभाग के अनुदान सं0–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401– फसल कृषि कर्म– आयोजनागत–119– बागवानी एवं सब्जियों की फसलें–07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास–0712– उत्तरॉचल सहकारी रेशम फैडरेशन का सुदृढीकरण – 24–वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित की गयी बजट व्यवस्था के नामे डाला जायेगा।

13–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–581/वित्त अनु0–4/2007, दिनांक–26 मार्च,2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या–214/XVI/07/7(52)/06 तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा,देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
4. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून।
5. बजट राजकोषीय,नियोजन एवं संसाधन,सचिवालय,देहरादून।
6. जिलाधिकारी,देहरादून।
7. आयुक्त गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव।